

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/177/2017-20/19-20 प्र०स्वी०

राँची, दिनांक-29.07.2019

प्रेषक:

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो.-हिन्नु, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन मार्च 2019 में परिशिष्ट-I के अनुसार E-Governance मद में क्रय किए गए उपकरणों पर आई लागत के विरुद्ध वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु रु0 3.00 लाख (रु0 तीन लाख) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

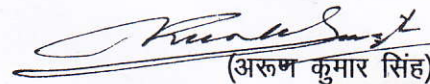
प्रसंग: विभागीय पत्रांक- 75/18-19 प्र०स्वी० दिनांक-06.03.2019

आदेश-स्वीकृत।

1. जल संसाधन विभाग लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन संलग्न परिशिष्ट-I के अनुसार E-Governance मद में उपकरणों के क्रय हेतु रु0 3.00 लाख (रु0 तीन लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-75/18-19 प्र०स्वी० दिनांक-06.03.2019 से प्रदान की गयी।
2. E-Governance मद में उपकरणों के क्रय हेतु गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 3.00 लाख का आबंटन दिया गया था। कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची द्वारा उपकरणों का क्रय कर लिया गया, किन्तु तकनीकी कारणों से कोषागार में प्रस्तुत विपत्र की राशि का भुगतान कोषागार से पारित होने के उपरान्त भी नहीं हो सका था।
3. प्रस्तावित कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु तकनीकी स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त है।
4. वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्रय किए गए उपकरणों (परिशिष्ट-I) की लागत राशि का वर्ष 2019-20 में उपलब्ध बजटीय उपबंध से भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।
5. क्रय किए गए कार्य एवं राशि की विवरणी परिशिष्ट-I पर संलग्न है।
6. इस कार्य पर व्यय निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय है :-
(i) मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना / 27-ई0 गवर्नेंस-विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय
7. इस कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची नियंत्रण पदाधिकारी हैं।
8. उक्त प्रस्ताव का समावेश वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध में समेकित रूप से है।
9. किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाएगी।
10. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
11. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

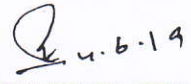
अनु०:- परिशिष्ट-I


(अरुण कुमार सिंह) 4.6.19
सरकार के अपर मुख्य सचिव,

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/177/2017 20/19-20 प्र० स्वी० राँची, दिनांक- 29.07.2019

प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग/ वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

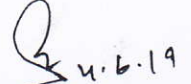
अनु०:- परिशिष्ट-I


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/177/2017 20/19-20 प्र० स्वी० राँची, दिनांक- 29.07.2019

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार, पदाधिकारी, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

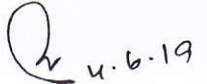
अनु०:- परिशिष्ट-I


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/177/2017 20/19-20 प्र० स्वी० राँची, दिनांक- 29.07.2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, राँची/ हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-6 एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

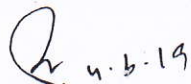
अनु०:- परिशिष्ट-I


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/177/2017 20/19-20 प्र० स्वी० राँची, दिनांक- 29.07.2019

प्रतिलिपि: आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

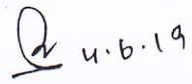
अनु०:- परिशिष्ट-I


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/177/2017 20/19-20 प्र० स्वी० राँची, दिनांक- 29.07.2019

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

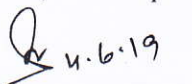
अनु०:- परिशिष्ट-I


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव,

पत्रांक-3/पी.एम.सी./कार्य/177/2017 20/19-20 प्र० स्वी० राँची, दिनांक- 29.07.2019

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

अनु०:- परिशिष्ट-I


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव,

लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन वित्तीय वर्ष 2019-20 में ई-गवर्नेंस मद अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की
विवरणी :-

परिशिष्ट-1

(राशि रु० में)

क्रम.	उपकरणों को क्रय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम एवं कार्यालय का नाम	उपकरण/कार्य का नाम	संख्या	दर	राशि	कार्यालय का नाम जिसके लिए उपकरणों का क्रय किया जाना है।
1	2	3	4	5	6	7
1	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रौंछी।	Laptop Core i5, RAM 8GB, Hard Disk-1TB, Window 10 Professional OS	2	52500.00	105000.00	अधीक्षण अभियंता, योजना, मॉनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-3
		Total :-			105000.00	
2	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल रौंछी।	Photo Copier (Duplex)	1	97500.00	97500.00	मुख्य अभियंता लघु सिंचाई, रौंछी
		Total :-			97500.00	
3	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, रौंछी।	Photo Copier (Duplex)	1	97500.00	97500.00	लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारिबाग
		Total :-			97500.00	
		Total :-			300000.00	
		कुल:-			300000.000	

4.6.19

सरकार के संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग,

पत्रांक - 20/19-20 प्र०स्वी०, दिनांक - 23.07.2019

[Signature]